सूचना

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के स्थायी आदेश संख्या–07 दिनांक 11/01/2018 की क्रमांक 8 में ''उपरोक्त क्रमांक–7'' के स्थान पर ''उपरोक्त क्रमांक–6'' का उल्लेख हो गया है।

उपर्युक्त स्थायी आदेश में संशोधन कर कम्पनी के बेबसाईट www.bsphcl.bih.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है।

ह0/–
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)

स्थायी आदेश संख्या–07 / पटना   दिनांक 11-01-18

H-III/LPP-DE-20071/17

बिहार स्टेट पावर (हो0) कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की 58वीं बैठक में पारित संकल्प संख्या–58–11 के अनुपालन में लेखा प्रवीण परीक्षा पार्ट–1 एवं पार्ट–2 (LPP Part-I एवं LPP Part-II) के संचालन के लिए पूर्व के सभी आदेशों को अवक्रमित करते हुए निम्नांकित रूप में एक समेकित आदेश पारित किया जाता है–

(1) लेखापाल एवं उससे उपर के पद पर प्रोन्नति के लिए योग्य एवं दक्ष लेखाकर्मी के चयन के लिए कम्पनी में कार्यरत कनीय लेखा लिपिक/विपत्र लिपिक/कनीय लेखा सहायक/लेखा सहायक एवं लेखापाल के लिए लेखा प्रवीण परीक्षा आयोजित की जायेगी एवं यह परीक्षा दो खण्डों में लेखा प्रवीण परीक्षा, पार्ट–I एवं लेखा प्रवीण परीक्षा, पार्ट–II के रूप में होगी। पार्ट– I की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पार्ट– II की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य होंगे।

(2) लेखा प्रवीण परीक्षा पार्ट–1 एवं पार्ट–2 में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम तीन–तीन अवसर निर्धारित होंगे। उक्त तीन अवसरों की गणना परीक्षा में सम्मलित होने के आधार पर किया जायेगा।

(3) लेखा प्रवीण परीक्षा पार्ट–1 एवं पार्ट–2 का पाठ्यक्रम कम्पनी के स्थायी आदेश संख्या 05 दिनांक 25.05.2017 द्वारा निर्गत पाठ्यक्रम होगा जो आवश्यकतानुसार समय–समय पर संशोधित किया जा सकेगा।

(4) वैसे अभ्यर्थी जो लेखा प्रवीण परीक्षा पार्ट–1 या पार्ट–2 की परीक्षा में पूर्व के पाठ्यक्रम के अनुसार सम्मिलित हुए हैं एवं कुल निर्धारित पत्रों में से किसी एक पत्र अथवा एक से अधिक पत्रों में उत्तीर्ण है एवं किसी पत्र में अनुत्तीर्ण है, उन्हें शेष बचे अनुत्तीर्ण पत्रों की परीक्षा निर्धारित तीन अवसरों में शेष अवसर तक पूर्व पाठ्यक्रम अर्थात् स्थायी आदेश संख्या 869 दिनांक 07.10.2009 द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार देने का अवसर अनुमान्य होगा।

(5) पुराने पाठ्यक्रम से लेखा प्रवीण परीक्षा पार्ट–1 में सफल अभ्यर्थी को भी लेखा प्रवीण परीक्षा पार्ट–2 की परीक्षा में नए पाठ्यक्रम के आधार पर सम्मलित होना होगा।

(6) किसी एक पेपर में Exemption प्राप्त करने/सफल होने हेतु न्यूनतम 40% अंक लाना आवश्यक होगा। जो अभ्यर्थी न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें उस पेपर में उत्तीर्णता यानि Exemption प्राप्त होगा, परन्तु लेखा प्रवीण परीक्षा पार्ट–1 अथवा लेखा प्रवीण परीक्षा पार्ट–2 में पूर्ण रूप से सफल होने के लिए संबंधित पार्ट के सभी पत्रों के कुल पूर्णांक का न्यूनतम 45% अंक लाना अनिवार्य होगा।

(7) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कनीय लेखा लिपिक/विपत्र लिपिक/कनीय लेखा सहायक का लेखा सहायक के पद पर प्रोन्नति नहीं होने की स्थिति में उक्त कर्मी कनीय लेखा लिपिक/विपत्र लिपिक/कनीय लेखा सहायक के पद पर न्यूनतम सात (07) वर्ष की सेवावधि पूरी करने के पश्चात् लेखा प्रवीण परीक्षा (LPP) में सम्मिलित हो सकेगें।

(8) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कनीय लेखा लिपिक/विपत्र लिपिक/कनीय लेखा सहायक का सात (07) वर्ष की सेवावधि के उपरांत यदि लेखा सहायक के पद पर वरीयता क्रम से प्रोन्नति नहीं होती है, परन्तु उपरोक्त क्रमांक– (7) के आलोक में लेखा प्रवीण परीक्षा (LPP) उत्तीर्ण होने पर लेखा सहायक के पद पर प्रोन्नति होती है, तो उस प्रोन्नति की तिथि से लेखा सहायक के पद पर न्यूनतम एक (01) वर्ष की सेवावधि/अनुभव पूर्ण करने के बाद ही अधिसूचना संख्या–123 दिनांक 22/07/1999 में उल्लेखित शर्त्तो के अधीन ''फास्ट ट्रैक कोटा'' के तहत लेखापाल के पद पर प्रोन्नति हेतु योग्य होगें।

(9) लेखा प्रवीण परीक्षा में सम्मलित होने के लिए न्यूनतम् अह्र्ता अवधि की गणना विभागीय परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि के आधार पर की जा सकेगी।

(10) कनीय लेखा लिपिक/विपत्र लिपिक/कनीय लेखा सहायक को एल0पी0पी0 पार्ट–I उत्तीर्ण होने के उपरांत एक Increment एवं एल0पी0पी0पार्ट–II परीक्षा उत्तीर्ण होने पर दो Increment देय होगा। लेखापाल कर्मियों को एल0पी0पी0 पार्ट–I परीक्षा उत्तीर्ण होने पर एक एवं एल0पी0पी0 पार्ट– II परीक्षा उत्तीर्ण होने पर भी एक Increment देय होगा। Increment हेतु तिथि की गणना परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से की जाएगी।

(11) उपर्युक्त परीक्षा से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशानुसार,
ह0/–
(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)

ज्ञाप संख्या ....पटना/ दिनांक ....

प्रतिलिपिः अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के तकनीकी सचिव/प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदा0/निदेशक (प्रशा0) के अवर सचिव/निदेशक (राजस्व) के अवर सचिव, बिहार स्टेट पावर (हो0) कंपनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदा0, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड/ बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड/नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)

ज्ञाप संख्या ....पटना/ दिनांक ....

प्रतिलिपि : सभी महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/सभी महाप्रबंधक (राजस्व)/ महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता/ सभी मुख्य अभियंता/सभी उप महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/सभी उप महाप्रबंधक (राजस्व)/सभी उप महाप्रबंधक–सह–विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता/सभी वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/परियोजना प्रबंधक/ सभी विशेष कार्य पदाधिकारी (मा0सं0/प्रशा0)/कम्पनी सचिव/सभी अवर सचिव बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूश्न कंपनी लिमिटेड/ नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूश्न कंपनी लिमिटेड/बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड/ बिहार स्टेट पावर ट्रांशमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रसारित।

ह0/–
(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)

ज्ञाप संख्या , 26 ..../ दिनांक 11-01-18.

प्रतिलिपि : उप महाप्रबंधक (आई0टी0), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना /साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूश्न कंपनी लिमिटेड/ नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूश्न कंपनी लिमिटेड/बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड/ बिहार स्टेट पावर ट्रांशमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना को कंपनी के बेबसाइट पर प्रकाशित करने की कृपा की जाए।

11/1/18
(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)